कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, श्रीगंगानगर
e-mail-sganganagar.we@rajasthan.gov.in Phone No-0154-2443730

==

क्रमांक/साथिन/विज्ञप्ति/2024—25/672 दिनांकः—22.11.2024

श्रीमान निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान,
जयपुर।

विषयः—साथिन पद हेतु जारी विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायतों में साथिनों के रिक्त पद हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 664 दिनांक 22.11.2024 को राज्य के सर्वाधिक प्रसार वाले दो समाचार पत्रों मे से किसी एक समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें ।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

(विजय कुमार)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता,
श्रीगंगानगर

क्रमांक/साथिन/विज्ञप्ति/2024—25/672 दिनांकः—22.11.2024

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. श्रीमान आयुक्त, महिला अधिकारिता राजस्थान, जयपुर।
2. प्रोग्रामर, निदेशालय महिला अधिकारिता राजस्थान, जयपुर को विज्ञप्ति की प्रति विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु ।

(विजय कुमार)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता,
श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, श्रीगंगानगर

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

email id :-sganganagar.we@rajasthan.gov.in ☎:– 0154–2443730

क्रमांकः–मअ / गंगा / साथिन / विज्ञप्ति / 2024 / 664 **दिनांक :–** 22.11.2024

विज्ञप्ति

निदेशालय महिला अधिकारिता ,महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.19(1)( )निमअ / साथिन चयन / परिपत्र / 2021 / 38229, जयपुर, दिनांक 14.10.22 की अनुपालना में जिले कि निम्नलिखित पंचायत समितियों के अधीन ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, श्रीगंगानगर के कार्यालय में आवेदन पत्र आमत्रित किये जाते है–

क्र.स	ग्राम पंचायत	पं0 समिति	आरक्षण
1	मोकलसर	सूरतगढ	अनारक्षित
2	5 ई छोटी,	गंगानगर	अनारक्षित
3	3 सी छोटी	गंगानगर	अनारक्षित
4	मटीली राठान	गंगानगर	अनुसूचित जाति
5	2 के एल डी	घडसाना	अनारक्षित
6	5 के के	पदमपुर	अनारक्षित
7	12 एच	करणपुर	अनारक्षित
8	42 एच	करणपुर	अनुसूचित जाति

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस ग्राम पंचायत के लिए आवेदन कर रही है, उसी ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। साथिन के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है।
2. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है।
3. साथिन हेतू न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
4. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु 21–40 वर्ष, (विधवा, तलाक शुदा एवं परित्यक्ता के लिए 21–45 वर्ष) की आयु होनी चाहिए।
5. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग में होने का का लाभ प्रदान किया जाएगा व इस संबंध में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागु होंगे।
6. चयन परिपत्र क्रमांक 38229 दिनांक 14.10.2022 विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
7. योग्य महिला अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में सम्पूर्ण दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ नम्बरिंग करते हुए सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, श्रीगंगानगर कार्यालय में व्यक्तिशः अथवा अन्य माध्यम से **दिनांक 29.11.2024 से 28.12.2024 को सायं 06:00 बजे तक** जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। **अन्तिम तिथि पश्चात् किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।**
8. आवेदन की परिनिरीक्षा के उपरान्त आवेदकों को उनके अकों व वांछित अपूर्णताओं से अवगत कराया जाएगा और उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करने व अपूर्णता दूर करने के लिए 07 दिवस का अवसर दिया जाएगा। जिसकी अन्तिम तिथि सहित सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्ता की जाएगी।
9. आवेदन पत्र सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, श्रीगंगानगर कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट **WWW.WCD.RAJASTHAN.GOV.IN** से प्राप्त किये जा सकते है।
10. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, श्रीगंगानगर कार्यालय **(0154–2443730)** से प्राप्त की जा सकती है।

(विजय कुमार)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
श्रीगंगानगर